न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 67 / 2016

1 राधा देवी पत्नी रामदेवाराम।
2 बंशीधर पुत्र रामदेवाराम।
3 सुरजमल पुत्र रामदेवाराम।
4 जगदीश पुत्र रामदेवाराम।
5 प्रेमसिंह पुत्र रामदेवाराम समस्त जाति जाट निवासीगण भूरियों की ढ़ाणी तन पलासरा तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 लिखमाराम पुत्र मानाराम जाति जाट निवासी फोगावतों की ढ़ाणी तन पलासरा तहसील व जिला सीकर।
2 तहसीलदार सीकर।
3 नेमीचन्द पुत्र रामदेवाराम जाति जाट निवासी भूरियों की ढ़ाणी तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर पीठासीन अधिकारी श्री रामानन्द शर्मा आर.ए.एस. दावा संख्या 230 / 2006 उनवानी रामदेवाराम बनाम लिखमाराम आदि दिनांकित 09.05.2016

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सोहनलाल, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः– 17.08.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा संख्या 230/2006 में पारित निर्णय दिनांक 09.05.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट की और से ग्राम पलासरा तहसील सीकर की भूमि खसरा नम्बर 83,267,268 बाबत उदघोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 09.05.2016 से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 29.01.2015 को पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.02.2015 को वास्ते बहस हेतु निर्धारित की गई। परन्तु आगे की तारिख पेशियों दिनांक 18.02.2015,23.04.2015,11.06.2015,25.06.2015, 27.08.2015,09.09.2015,01.10.2015,16.11.2015,10.12.2015,29.01.2016, 11.03.2016 को कोई कार्यवाही नहीं हुयी तथा पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.05.2016 निर्धारित कर दी गयी। परन्तु विचारण नयायालय द्वारा पत्रावली में बिना किसी विधिक प्रकिया तथा बिना अपीलांट को सुने बिना ही कॉम्प पलासरा में दिनांक 09.05.2016 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी गयी। विचारण न्यायालय द्वारा केवल मात्र इस आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये जाने में भारी कानूनी भूल की गयी है कि रिकार्ड

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

के अनुसार भूमि सरकारी है, सरकारी भूमि में वादी को धारा 88,188 आर.टी. एक्ट में अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये जाने से पूर्व अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 3 को किसी भी तरह की सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा न ही बहस सुनी गयी। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते समय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व दस्तावेजी, मौखिक साक्ष्य का विवेचन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन नहीं किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय कैम्प पलासरा में पारित किया गया है। जिसमें केवल मात्र राजीनामे के आधार पर ही निर्णय पारित किया जा सकता था, गुणावगुण पर नही।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक काबिल काश्त लगाने दर्ज है। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है। जिससे विवादित भूमि कभी भी वादीगण के खातेदारी में दर्ज होना साबित होता हो ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17.08.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर